

3. चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग:-

क्र स	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी का नाम	सेवा हेतु निर्धारित समय	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र					
1	(क) चिकित्सकीय अस्वस्थता प्रमाण-पत्र (Medical illness Certificate)	(क) प्रभारी चिकित्साधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक	02 दिन	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
2	(ख) स्वस्थता प्रमाण-पत्र (Physical Fitness Certificate) जिला स्तर	(ख) मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	02 दिन	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
3	(ग) स्टेट मेडिकल बोर्ड (पाक्षिक) द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य/अस्वस्थता प्रमाण पत्र (द्वितीय चिकित्सा राय)	(ग) मुख्य चिकित्साधिकारी देहरादून, सचिव. राज्य चिकित्सा परिषद उत्तराखण्ड	15 दिन	निदेशक, (चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
4	जननी सुरक्षा योजना में देय प्रोत्साहन राशि	1. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	02 दिन (सामान्य प्रसव)	1. मुख्य चिकित्साधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
		2. चिकित्सा अधीक्षक/ मुख्य चिकित्सा अधिकारी	07 दिन (ऑपरेशनप्रसव)	2. मुख्य चिकित्साधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
मेडिकोलीगल प्रमाण-पत्र					
5	(क) पुलिस मेडिकोलीगल प्रमाण-पत्र	संबंधित प्रभारी चिकित्साधिकारी/आकस्मिक चिकित्साधिकारी	02 दिन	संबंधित चिकित्सालय के प्रभारी/अधीक्षक/संबंधित क्षेत्र का उप मुख-चिकित्साधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
6	(ख) प्राईवेट मेडिकोलीगल				
7	(ग) एक्सीडेंटल मेडिकोलीगल				
8	(घ) पोस्टमार्टम रिपोर्ट (तृतीय प्रति की छायाप्रति)	मुख्य चिकित्साधिकारी	05 दिन	मुख्य चिकित्साधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
9	विकलांग प्रमाण-पत्र (साप्ताहिक)	मुख्य चिकित्साधिकारी	03 दिन	जिलाधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
खाद्य सुरक्षा-					
10	खाद्य लाईसेंस निर्गत करना	खाद्य लाईसेंस अधिकारी	02 माह	1. आयुक्त, खाद्य सुरक्षा द्वारा नामित अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
11	पंजीकरण	पंजीकरण अधिकारी	01 माह	2. आयुक्त, खाद्य सुरक्षा द्वारा नामित अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
औषधि अनुभाग-					
12	औषधि वितरण हेतु नवीन लाईसेंस निर्गत करना	औषधि अनुज्ञापन अधिकारी	03 माह	औषधि नियंत्रक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
13	औषधि वितरण हेतु लाईसेंस का नवीनीकरण करना	औषधि अनुज्ञापन अधिकारी	अनुज्ञप्ति धारक द्वारा निर्धारित शुल्क जमा किये जाने पर अनुज्ञप्ति स्वतः ही नवीनीकृत मानी जायेगी	औषधि नियंत्रक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

क्र स	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी का नाम	सेवा हेतु निर्धारित समय	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
14	औषधि निर्माण हेतु नवीन लाईसेंस निर्गत करना	औषधि अनुज्ञापन अधिकारी	21 दिवस	औषधि नियंत्रक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
15	औषधि निर्माण हेतु लाईसेंस का नवीनीकरण करना	औषधि अनुज्ञापन अधिकारी	अनुज्ञापित धारक द्वारा निर्धारित शुल्क जमा किये जाने पर अनुज्ञाप्ति स्वतः हो नवीनीकृत मानी जायेगी।	औषधि नियंत्रक	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

अधिसूचना सं. 1337/XXXI(13)/G/2011, दि. 28-10-2022 द्वारा अधिसूचित

अधिसूचना सं. 803/XXX(6)/202120(02)21, दि. 12-11-2021 द्वारा क्रमांक 8 एवं क्रमांक 13 से 15 में उल्लिखित सेवाओं की समय-सीमा में संशोधन

16	आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना/अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के पात्र लाभार्थियों को स्वास्थ्य कार्ड जारी करना	प्र0चि0 अधिकारी/ चिकित्साधीक्षक	07 कार्य दिवस	मुख्य चिकित्साधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
----	---	------------------------------------	---------------	-------------------------	-----------------------------------

अधिसूचना सं. 323/XXX(6)/22-20 (02)/21, दि. 25-10-2022 द्वारा अधिसूचित

क्र स	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी		सेवा हेतु निर्धारि त समय	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	सेवा का माध्यम
17	उत्तराखण्ड में संचालित अटल आयुष्मान योजना एवं राज्य स्तर पर गोल्डन कार्ड जारी करना	प्र.चि. अधिकारी/ चिकित्सा अधीक्षक	जन सेवा केन्द्र (सरकारी चि./ VLE (2 दिवस) राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण/ISA (5 दिवस)	07 दिवस	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	-
18	प्रदेश में परिचालित निजी उपचार/गृह/रुग्ण उपचार सम्बन्धी स्थापनाओं का रजिस्ट्रीकरण	सम्बन्धित लिपिक/ कर्मचारी	05 दिवस	30 दिवस	जिलाधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	-
		मुख्य चिकित्सा- धिकारी	25 दिवस				
19	Provisional Registration for clinical establishment under Clinical Establishment (Registration and Regulation Act 2010 and its Renewal	सम्बन्धित लिपिक/ कर्मचारी	04 दिवस (For Provisional)/ 10 दिवस (For Permanent)	10 दिवस (For Provisional)	जिलाधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	-
		मुख्य चिकित्सा धिकारी	06 दिवस (For Provisional) /20 दिवस (For Permanent)	30 दिवस (For Permanent)			

क्र स	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी		सेवा हेतु निर्धारित समय	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	सेवा का माध्यम
20	Rashtriya Bal Swasthya Karyakaram (RSBK) Regular and Periodical check up of 30 diseases	चिकित्सा अधीक्षक	ऑगनवाड़ियों में 06 माह में 01 बार सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में वर्ष में 1 बार	ऑगनवाड़ियों - 06 माह सरकारी एवं सरकारो सहायता प्राप्त विद्यालयों -1 वर्ष	लोक सूचना अधि कारी एन.एच.एम.	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	-
21	Rejection of Registration Certificate of Ultra Sound Centres	मुख्य चिकित्सा अधिकारी		90 दिवस	जिलाधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	-
22	Cosmetic Manufacturing Licence	औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी		21 दिवस	सचिव, चि. स्वा. परिवार कल्याण	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	-
23	Grant of Licence to Chemist	औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी		21 दिवस	सचिव, चि. स्वा. परिवार कल्याण	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	-
24	Issue of Discharge Certificate	उपचार करने वाला चिकित्सक	04 घण्टे के अन्दर	04 घण्टे के अन्दर	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	-
		मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	60 मिनट के अन्दर	तीमारदार के अनुरोध पर 60 मिनट (1 घण्टा) के भीतर			
25	Male Sterilization Certificate	सम्बन्धित लिपिक/कर्मचारी	03 दिवस	नसबन्दी ऑपरेशन के उपरान्त	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	-
		मुख्य चिकित्साधिकारी/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/ प्रभारी चिकित्साधिकारी	04 दिवस	शुक्राणु परीक्षण की रिपोर्ट के उपरान्त 7 दिवस			
26	Female Sterilization Certificate	सम्बन्धित लिपिक/ कर्मचारी	03 दिवस	07 दिवस	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	-
		मुख्य चिकित्साधिकारी/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/ प्रभारी चिकित्साधिकारी	04 दिवस				
27	नसबन्दी करवाने पर प्रोत्साहन राशि का भुगतान	सम्बन्धित लिपिक/ कर्मचारी	03 दिवस	डिस्चार्ज के समय से 07 दिवस के अन्तर्गत	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	-
		मुख्य चिकित्साधिकारी/ मुख्य चिकित्साधीक्षक/ मेडिकल ऑफिस इंचार्ज					

क्र.स.	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय-सीमा		पथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	सेवा का माध्यम
28	PCPNDT अधिनियम, 1994 के अधीन इकाइयों का पंजीकरण	सम्बन्धित लिपिक/कर्मचारी	30 दिवस	90 दिवस	जिलाधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	-
		मुख्य चिकित्साधिकारी/अपर मुख्य चिकित्साधिकारी	60 दिवस				
29	PCPNDT अधिनियम, 1994 के अधीन इकाइयों का नवीनीकरण	सम्बन्धित लिपिक/कर्मचारी	30 दिवस	90 दिवस	जिलाधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	-
		मुख्य चिकित्साधिकारी/अपर मुख्य चिकित्साधिकारी	60 दिवस				
30	मानव अंग प्रत्यारोपण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र	सम्बन्धित लिपिक/कर्मचारी	05 दिवस	45 दिवस	निदेशक चिकित्सा शिक्षा	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	-
		राज्य स्तरीय ऑर्थोराइजेशन कमेटी	40 दिवस				
31	शल्य चिकित्सा परीक्षणों के उपरान्त पुष्टि के पश्चात् बन्धीकरण प्रमाण पत्र जारी करना।	सम्बन्धित लिपिक/कर्मचारी	01 दिवस	नसबन्दी के उपरान्त	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग	-
		मुख्य चिकित्सा अधिकारी	07 दिवस	शुक्राणु परीक्षण की रिपोर्ट के उपरान्त 7 दिवस			-

अधिसूचना संख्या I/124714/E-17505/2023/XXXIV(3)/-20(02)21 दि. 25 मई 2023 द्वारा अधिसूचित

क्र०सं०	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय-सीमा	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी
---------	--------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------	---------------------------

32.	राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (SGHS) के तहत विभाग से प्राप्त मेडिकल बिलों पर भुगतान की कार्यवाही करना।	वरिष्ठ प्रबन्धक/प्रबन्धक	15 दिवस	निदेशक (क्लेम मैनेजमेंट)	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
-----	--	--------------------------	---------	--------------------------	--------------------------------

33.	जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत सरकारी चिकित्सा इकाई में प्रसव कराने पर ग्रामीण क्षेत्र की महिला को प्रसव उपरान्त रु० 400/-की प्रोत्साहन धनराशि एवं शहरी क्षेत्र की महिला को रु० 1000/- की प्रोत्साहन धनराशि दिए जाने का प्रावधान है।	चिकित्सा अधिकारी सम्बन्धित चिकित्सा इकाई	Normal/C Section प्रसव के बाद 15 दिन के भीतर (सशर्त लाभार्थियों द्वारा प्रोत्साहन धनराशि हेतु सम्बन्धित दस्तावेज जमा किये गये हों।)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
-----	--	--	---	------------------------	--------------------------------

34.	राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम में निक्षय पोषण योजना के अन्तर्गत सभी क्षय रोगियों को रु० 500/- प्रतिमाह DBT के	जिला क्षय अधिकारी	प्रत्येक माह की 07 तारीख तक (सशर्त लाभार्थी द्वारा DBT हेतु सम्बन्धित दस्तावेज जमा किये गये हों।)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
-----	--	-------------------	---	------------------------	--------------------------------

	माध्यम से पोषाहार भत्ता प्रदान किया जाता है।				
35.	राजकीय कार्मिक/पेंशनर्स के धनराशि रु0 1.50 लाख तक की सीमा के दावों का परीक्षण/प्रतिहस्ताक्षर	जिला/उप जिला चिकित्सालय के प्रभारी अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/इस हेतु नामित अधिकारी	1. शासनादेश दिनांक 25.11.2021 एवं तत्क्रम में संशोधित शासनादेश दिनांक 31.03.2023 में निहित प्रावधानों/शर्तों (चैक लिस्ट) के अनुसार औपचारिकताये अपूर्ण होने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा सम्बन्धित विभाग को वापस प्रेषित किये जाने की समयावधि- 10 दिवस। 2. जिन चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों में शासनादेश दिनांक 25.11.2021 एवं तत्क्रम में संशोधित शासनादेश दिनांक 31.03.2023 में निहित प्रावधानों/जारी दिशा-निर्देश (चैक लिस्ट) के अनुसार समस्त औपचारिकतायें पूर्ण हों उनमें परीक्षण/प्रतिहस्ताक्षर हेतु निर्धारित समयावधि- 30 दिवस।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
36.	राजकीय कार्मिक/पेंशनर्स के धनराशि रु0 1.50 लाख से अधिक एवं रु0 3.00 लाख तक की सीमा के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का परीक्षण/प्रतिहस्ताक्षर	निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल एवं कुमाऊ मण्डल।	1. शासनादेश दिनांक 25.11.2021 एवं तत्क्रम में संशोधित शासनादेश दिनांक 31.03.2023 में निहित प्रावधानों/शर्तों (चैक लिस्ट) के अनुसार औपचारिकताये अपूर्ण होने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा सम्बन्धित विभाग को वापस प्रेषित किये जाने की समयावधि- 10 दिवस। 2. जिन चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों में शासनादेश दिनांक 25.11.2021 एवं तत्क्रम में संशोधित शासनादेश दिनांक 31.03.2023 में निहित प्रावधानों/जारी दिशा-निर्देश (चैक लिस्ट) के अनुसार समस्त औपचारिकतायें पूर्ण हों उनमें	महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

			परीक्षण/प्रतिहस्ताक्षर हेतु निर्धारित समयावधि- 30 दिवस।		
37.	राजकीय कार्मिक/पेंशनर्स के धनराशि रु0 3.00 लाख से अधिक की सीमा के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का परीक्षण/प्रतिहस्ताक्षर	निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।	1. शासनादेश दिनांक 25.11.2021 एवं तत्क्रम में संशोधित शासनादेश दिनांक 31.03.2023 में निहित प्रावधानों/शर्तों (चैक लिस्ट) के अनुसार औपचारिकताये अपूर्ण होने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा सम्बन्धित विभाग को वापस प्रेषित किये जाने की समयावधि- 10 दिवस। 2. जिन चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों में शासनादेश दिनांक 25.11.2021 एवं तत्क्रम में संशोधित शासनादेश दिनांक 31.03.2023 में निहित प्रावधानों/जारी दिशा-निर्देश (चैक लिस्ट) के अनुसार समस्त औपचारिकतायें पूर्ण हों उनमें दावा प्राप्ति के निम्न समयावधि अनुसार परीक्षण/प्रतिहस्ताक्षर की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। • धनराशि रु0 3.00 से अधिक एवं रु0 5.00 लाख तक की सीमा के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे हेतु समयावधि- 40 दिवस • धनराशि रु0 5.00 से अधिक एवं रु0 10.00 लाख तक की सीमा के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे हेतु समयावधि- 55 दिवस • धनराशि रु0 10.00 से अधिक तक की सीमा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे हेतु समयावधि- 70 दिवस	महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग

38.	विभागीय सिविल कार्यो हेतु ठेकेदारी का पंजीकरण	निदेशक (नियोजन)	90 दिन	महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग
39.	विभागीय विद्युतीय कार्यो हेतु ठेकेदारी का पंजीकरण	निदेशक (नियोजन)	90 दिन	महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग